

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

अनवान गुरमीत कौर बनाम गोखी उर्फ बस्यन्त सिंह
 प्रकरण संख्या ७५ / २०२१ अन्तर्गत धारा २१२ RTA

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एतद्वारा जो इस आदेश पालना में
30/4/24	<p>अधिवक्तागण उपस्थित। हस्तगत प्रकरण का मूलवाद खारिज हो चुका है। अब इस प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। वादिया/प्राथमिका का माधन पत्र अन्तर्गत धारा २१२ RTA खारिज किया जाता है। पत्रावली विनोद होकर नम्बर से फाइल होकर वापिस वकूत हो।</p>	



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 श्री करणपुर